19. हम यह उल्लेख कर सकते है कि प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील देनी चाही कि गुणक के कारण जो एकमात्र परिवर्तन किया गया है, अपील में यह अभिवाक् किया ही नहीं गया है । तथापि, हमारा यह निष्कर्ष है कि इस मुद्दे को कवर करने के लिए विशेष इजाजत याचिका का आधार (4) पर्याप्त व्यापक है । इस प्रकार, यह अपील पूर्वोक्त सीमा तक मंजूर की जाती है । लंबित आवेदन का, यदि कोई हो, निपटारा हो जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.

[2019] 3 उम. नि. प. 402

कुमार घिमिरे

बनाम

सिक्किम राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 719]

22 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 386, 390, 391 और 401 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ड), 6, 9 और 10 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 341] – अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की अभिपुष्टि करते हुए दंडादेश में वृद्धि किया जाना – अभियुक्त को सूचना न दिया जाना – उच्च न्यायालय धारा 386(ख)(iii) के साथ पठित धारा 401 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंडादेश में वृद्धि कर सकता है, किंतु यदि विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश में ऐसी वृद्धि करने के संबंध में अभियुक्त को सूचना देकर सुने जाने का

अवसर नहीं दिया जाता है तो दंडादेश में की गई वृद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी को एक सात वर्षीय बालिका पर लैंगिक हमला करने का प्रयत्न करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में पोक्सो अधिनियम, 2012) और दंड संहिता, 1860 की धाराओं के अधीन आरोपित किया गया था । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दोषसिद्ध किया । विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए 7 वर्ष की अवधि का साधारण कारावास और 50,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया । भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अधिरोपित दंडादेश एक माह की अवधि का साधारण कारावास था । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई, यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा वह अपील अपने तारीख 20 सितम्बर, 2016 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई किन्तु अपील खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि को धारा 6 के साथ पठित धारा 5(ड) में परिवर्तित कर दिया और दंड में वृद्धि करके दस वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माना 5,000/- रुपए कर दिया । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा भागत: अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 खंड (ख) के अनुसार दोषसिद्धि से अपील में यद्यपि अपील न्यायालय दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है अथवा निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए । धारा 386(ख)(iii) के अधीन, दोषसिद्धि से अपील में अपील न्यायालय दंडादेश की वृद्धि के लिए दंडादेश में वृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है । अपील न्यायालय दंडादेश में वृद्धि करने की अपील में भी

दंडादेश में वृद्धि कर सकता है । धारा 386 के परंतुक में यह भी उपबंधित है कि दंडादेश में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो । प्रस्तुत मामला ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील में दंडादेश में वृद्धि की है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील का, कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 386 के परंतुक के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था चूंकि दंडादेश में वृद्धि करने के लिए अपीलार्थी को कोई सूचना जारी नहीं की गई थी, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा खंडन नहीं किया गया है । किसी समुचित मामले में दंडादेश में वृद्धि करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय किसी समुचित मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति उपबंधित है । उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन किसी अपील न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386, 390 और 391 द्वारा या धारा 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का पुनरीक्षण कर सकता है । उच्च न्यायालय धारा 386(ख)(iii) के साथ पठित धारा 401 के अधीन शक्ति का भलीभांति प्रयोग कर सकता है, दंडादेश में वृद्धि कर सकता है किंतु उक्त प्रक्रिया दंडादेश में वृद्धि करने की सूचना देने के पश्चात् ही अनुज्ञेय है । अतः, इस न्यायालय का यह मत है कि उच्च न्यायालय का निर्णय, जहां तक इसका संबंध दंडादेश में वृद्धि करके सात वर्ष से दस वर्ष करने से है, विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है । उच्च न्यायालय का निर्णय दंडादेश में सात वर्ष से दस वर्ष की वृद्धि करने की सीमा तक अपास्त किया जाता है । (पैरा 12, 13 और 16)

अब, न्यायालय अपीलार्थी की इस दलील पर आता है कि अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य को क्रमबंधित किया है । विपदग्रस्त स्वयं अभि. सा. 1 के रूप में उपसंजात हुई है । अभियुक्त द्वारा उसकी पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी, विपदग्रस्त के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप

साबित हुआ है और उसके साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य से हुई है जो उसी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं हैं और वे उसी समय विद्यालय से वापस आ रही थीं जब विपदग्रस्त विद्यालय से वापस आ रही थी । चिकित्सीय साक्ष्य से भी अपीलार्थी पर आरोप की पूरी तरह से संपुष्टि होती है । उच्च न्यायालय ने ठीक ही अपीलार्थी की दोषसिद्धि के निष्कर्ष की अभिपुष्टि की है । यह न्यायालय दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है और वास्तव में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अधिक गंभीरता से अपीलार्थी की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है । उनकी दलील यह थी कि उसे धारा 10 के अधीन केवल पांच वर्ष का दंडादेश दिया जाना चाहिए था । विशेष न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सात वर्ष का दंडादेश अधिरोपित किया था । विशेष न्यायाधीश ने यह उल्लेख किया कि अप्राप्तवय बालिका (आयु 7 वर्ष) के विरुद्ध कारित अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, यह न्यायालय विद्वान् विशेष न्यायाधीश के मत से पूरी तरह से सहमत हैं और अपराध की गंभीर प्रकृति पर विचार करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की दोषसिद्धि में इस अपील में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 17 और 18)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2002] (2002) 1 एस. सी. सी. 266 :
सुरेन्द्र सिंह रौतेला उर्फ **सुरेन्द्र सिंह बंगाली** बनाम **बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य)** ; 15

[1990] (1990) 4 एस. सी. सी. 718 :
गोविंद रामजी जाधव बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 15

[1990] (1990) 2 एस. सी. सी. 385 :
साहब सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य** ; 14

[1984] (1984) (सप्ली.) एस. सी. सी. 518 :
सुरजीत सिंह और अन्य बनाम **पंजाब राज्य** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 719.

2015 की दांडिक अपील सं. 19 में सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक के तारीख 20 सितम्बर, 2016 के निर्णय और आदेश की विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री हरिन्दर मोहन सिंह, (सुश्री) शबाना, अजय गुप्ता और ऋषि चावला

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री ए. मरियापुथम, महाधिवक्ता, (सुश्री) अरुणा माथुर, अवनीश आरपुथम, (सुश्री) अनुराधा आरपुथम और (सुश्री) गीतांजली (मैसर्स आरपुथम अरुणा एंड कं. की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – इजाजत दी गई ।

2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील सिक्किम उच्च न्यायालय के तारीख 20 सितम्बर, 2016 के उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम, 2012) द्वारा अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (जिसे इसमें आगे पोक्सो अधिनियम, 2012 कहा गया है) की धारा 9/10 और भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए तारीख 31 जनवरी, 2014 को पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2015 की दांडिक अपील सं. 19 को खारिज कर दिया था । अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 के अधीन सात वर्ष की अवधि का साधारण कारावास भुगतना था और 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करना था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन उसे एक माह की अवधि का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था ।

3. अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर अपील फाइल की जिसे यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया किंतु अपील खारिज करते हुए पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा

9/10 के अधीन दंडादेश को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5(ड) के अधीन दंडादेश में परिवर्तित कर दिया और दंडादेश को 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया ।

4. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, तारीख 20 फरवरी, 2014 को 5.00 बजे अपराह्न में मंगल दास राय, अभि. सा. 2 (अंजलि राय का पिता), निवासी लोवर नाम्फिंग, दक्षिण सिक्किम ने तेमी पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी कुमार घिमिरे ने जंगल में लगभग 1.30 बजे अपराह्न में उसकी सात वर्षीय पुत्री अंजलि राय, अभि. सा. 1 पर लैंगिक हमला करने का प्रयत्न किया था । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध उसी दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन 2014 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 5(2) रजिस्ट्रीकृत की गई और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अर्थात् उप-निरीक्षक द्वारा अन्वेषण के लिए मामला हाथ में लिया गया ।

5. पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511/241/342 के अधीन एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 के अधीन आरोप विरचित किए गए पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के अधीन भी आरोप विरचित किए । अभि. सा. 1 (बालिका) अंजलि राय का कथन अभिलिखित किया गया । अभि. सा. 3, विपदग्रस्त की माता की परीक्षा की गई । विपदग्रस्त का पिता अभि. सा. 2 के रूप में उपसंजात हुआ । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 वे लड़कियां हैं जो विद्यालय में हाजिर होकर एक ही समय पर विपदग्रस्त के साथ वापस आ रही थीं । वे घटना की संपुष्टि करने के लिए साक्षी कठघरे में भी उपसंजात हुई । अभि. सा. 9, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिसने विपदग्रस्त का परीक्षण किया था, साक्षी कठघरे में उपसंजात हुई ।

6. विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 तथा

भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दोषसिद्ध किया । विशेष न्यायाधीश ने पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए पैरा 12 में, 7 वर्ष की अवधि का साधारण कारावास और 50,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया । भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अधिरोपित दंडादेश एक माह की अवधि का साधारण कारावास था । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई, यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा वह अपील अपने तारीख 20 सितम्बर, 2016 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई किन्तु अपील खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि को धारा 6 के साथ पठित धारा 5(ड) में परिवर्तित कर दिया और दंड में वृद्धि करके दस वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माना 5,000/- रुपए कर दिया । उच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा 25 निम्न प्रकार से है :-

> "25. संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर साक्ष्य और उपर्युक्त चर्चा का ध्यान रखते हुए, मैं विद्वान् विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त नहीं कर सकता हूं कि अपराध पोक्सो अधिनियम की धारा 9 और धारा 10 के अधीन दंडनीय अपराध था । यह अपराध निस्संदेह पोक्सो अधिनियम की धारा 5(ड) और धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध है । तद्नुसार, अपीलार्थी को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि को उचित रूप से परिवर्तित करते हुए दोषसिद्ध किया जाता है । तद्नुसार, उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 5(ड) और धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए (पांच हजार रुपए केवल) के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया जाता है, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का साधारण कारावास भुगतेगा । भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन अपराध के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय के दंडादेश को कायम रखा जाता है । कारावास के दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।"

7. उच्च न्यायालय द्वारा विपदग्रस्त को सिक्किम विपदग्रस्त के

लिए प्रतिकर स्कीम के अधीन 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के प्रतिकर का संदाय करने का भी निदेश दिया गया था ।

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने दंड में वृद्धि करके गलती की है जबकि दंड में वृद्धि करने के लिए कोई अपील फाइल नहीं की गई थी । उनकी दलील के अनुसार उच्च न्यायालय को दंडादेश में वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी । यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंड पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9/10 के अधीन अधिकतम था जबकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को धारा 10 के अधीन अधिक-से-अधिक केवल पांच वर्ष का दंड दिया जाना चाहिए था ।

9. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया । यह दलील दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 उपखंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय को निष्कर्ष में परिवर्तन करने का अधिकार है और उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपराध पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(ड) के अंतर्गत आता है, दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड ठीक ही अधिरोपित किया था । यह दलील दी गई कि पोक्सो अधिनियम की धारा 5(ड) के अधीन अपराधों को पूरी तरह से साबित किया गया है । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् ठीक ही यह निष्कर्ष निकाला कि अपराध उत्तेजक अंत:प्रवेशनीय लैंगिक हमला था जिसके लिए न्यूनतम दंड दस वर्ष का कठोर कारावास है । इसलिए, इस न्यायालय को अधिनिर्णीत दंड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

10. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की प्रथम दलील यह है कि उच्च न्यायालय को दंड में वृद्धि करके सात वर्ष से दस वर्ष नहीं करना चाहिए था । उच्च न्यायालय द्वारा यह वृद्धि अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के अधीन फाइल की गई अपील में की गई थी । अपील न्यायालय की धारा 386 के अधीन शक्तियां निम्नलिखित हैं :–

"386. अपील न्यायालय की शक्तियां – ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा –

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निदेश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त, यथास्थिति, पुन: विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है ;

(ख) दोषसिद्धि से अपील में, –

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुन: विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा

(ii) दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में अथवा स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए ;

(ग) दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में, –

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय

द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकता है, या

(ii) दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दंड के स्वरूप या परिमाण में अथवा स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए ;

(घ) किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है ;

(ङ) कोई संशोधन या कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, कर सकता है :

परंतु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो :

परंतु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था ।"

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 खंड (ख) के अनुसार दोषसिद्धि से अपील में यद्यपि अपील न्यायालय दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है अथवा निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए । धारा 386(ख)(iii) के अधीन, दोषसिद्धि से अपील में अपील न्यायालय दंडादेश की वृद्धि के लिए दंडादेश में वृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है । अपील न्यायालय दंडादेश में वृद्धि करने की अपील में भी दंडादेश में वृद्धि कर सकता है । धारा 386 के परंतुक में यह भी उपबंधित है कि दंडादेश में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो ।

13. प्रस्तुत मामला ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील में दंडादेश में वृद्धि की है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील का, कि उच्च न्यायालय धारा 386 के परंतुक के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था चूंकि दंडादेश में वृद्धि करने के लिए अपीलार्थी को कोई सूचना जारी नहीं की गई थी, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा खंडन नहीं किया गया है । किसी समुचित मामले में दंडादेश में वृद्धि करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय किसी समुचित मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति उपबंधित है । उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन किसी अपील न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386, 390 और 391 द्वारा या धारा 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । उच्च न्यायालय धारा 386(ख)(iii) के साथ पठित धारा 401 के अधीन शक्ति का भलीभांति प्रयोग कर सकता है, दंडादेश में वृद्धि कर सकता है किंतु उक्त प्रक्रिया दंडादेश में वृद्धि करने की सूचना देने के पश्चात् ही अनुज्ञेय है । इस न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में उच्च न्यायालय की इस शक्ति को स्वीकार किया गया है और दोहराया गया है । **सुरजीत सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले के प्रतिनिर्देश किया जाता है । उपरोक्त मामले में अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था । उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए आदेश पारित किया था जो दंडादेश में वृद्धि करने की कोटि में आता था । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने से पूर्व दंडादेश में वृद्धि नहीं कर सकता था । पैरा 3 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :-

---

[1] (1984) (सप्ली.) एस. सी. सी. 518.

"3. अपीलार्थियों की अपील खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह मत व्यक्त किया 'कि सुरजीत सिंह और हरजिंदर सिंह, जिन्होंने साबित किया है कि बचन सिंह की हत्या अति निर्ममतापूर्वक की गई थी और यह बात मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों की संख्या से स्पष्ट होती है ।' उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश से अलग अपीलार्थियों पर 5,000/- रुपए का जुर्माना और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश अधिरोपित किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित इस अतिरिक्त दंडादेश से असंदिग्ध रूप से दंडादेश में वृद्धि करना गठित होता है । उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से पूर्व अपीलार्थियों को यह कारण बताने के लिए कहते हुए कि उन पर अधिरोपित दंडादेश में वृद्धि क्यों न कर दी जाए, सूचना जारी नहीं की थी । नैसर्गिक न्याय के नियमों के साथ-साथ विहित प्रक्रिया भी यह अपेक्षा करती है कि अभियुक्तों पर अधिरोपित दंडादेश में अपीलार्थियों को इसकी सूचना दिए बिना और प्रस्तावित कार्रवाई पर सुनवाई का अवसर दिए बिना वृद्धि नहीं की जा सकती है । अभिलेख से यह दर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थियों को ऐसी कोई सूचना और अवसर दिया गया था और सूचना के अभाव में अपीलार्थियों को प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध करने का कोई अवसर नहीं मिला था । अत:, हम इस अपील को इस प्रश्न तक सीमित रहते हुए मंजूर करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी पर अधिरोपित 5,000/- रुपए का दंडादेश और व्यतिक्रम दंडादेश अभिखंडित और अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टि की जाती है । अपील इसमें उपदर्शित सीमा तक मंजूर की जाती है ।"

14. **साहब सिंह और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में

---

[1] (1990) 2 एस. सी. सी. 385.

भी धारा 386 और 401 सहित दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही राज्य द्वारा दंडादेश में वृद्धि के लिए कोई अपील फाइल नहीं की गई है, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के अधीन स्वप्रेरणा से शक्ति का प्रयोग कर सकता है, किंतु इससे पूर्व कि उच्च न्यायालय दंडोदश में वृद्धि के लिए अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर सके, यह अनिवार्य है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को सूचना दी जाए । इस न्यायालय ने पैरा 4 में निम्नलिखित अधिकथित किया है :-

> "4. दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) की धारा 374 में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा की गई दोषसिद्धि से उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबंध किया गया है । धारा 377 में राज्य सरकार को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए लोक अभियोजक को निदेश देने का हकदार बनाया गया है । धारा 377 की उपधारा (3) में यह कहा गया है कि जब दंडादेश के विरुद्ध इसकी अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है, तो उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है । स्वीकृत रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पर अधिरोपित दंडादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी । धारा 378 में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध किया गया है । धारा 386 में अपील न्यायालय की शक्तियां प्रगणित हैं । इस धारा के प्रथम परंतुक में यह उपबंधित है कि दंडादेश में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो । धारा 397 में उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय को

पुनरीक्षण की शक्तियां प्रदत्त की गई थीं । इसमें, अन्य बातों के साथ, यह उपबंधित है कि उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय का किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है । धारा 401 में यह भी उपबंधित है कि ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है, या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, वह धाराएं 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है । धारा 401 की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो । उपधारा(4) में आगे यह उपबंधित है कि जहां संहिता के अधीन अपील हो सकती है, किन्तु कोई अपील नहीं की जाती है वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर, जो अपील कर सकता था, पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी । धारा 377, 386, 397 और 401 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार दंडादेश की अपर्याप्तता से व्यथित है, तो वह संहिता की धारा 377(1) के अधीन अपील कर सकता है । तथापि, राज्य सरकार की ओर से अपील करने में असफलता से उच्च न्यायालय संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के अधीन स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने से विवर्जित नहीं हो जाता है, चूंकि उच्च न्यायालय स्वयं अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय की कार्यवाही का अभिलेख मंगवाने के लिए सशक्त है । धारा 401 की उपधारा (4) उस पक्षकार पर एक वर्जन के रूप में लागू होती है जिसे अपील करने का अधिकार तो है किंतु वह ऐसा करने में असफल रहता है, किंतु यह उपधारा उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग

करने के लिए रुकावट नहीं है । किंतु उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश में वृद्धि करने के लिए स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने से पूर्व यह अनिवार्य है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाए और दंडादेश के प्रश्न पर उसे या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से सुने जाने का अवसर दिया जाए । पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग दोषसिद्ध व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर उसे इस बात के लिए सचेत किए बिना नहीं किया जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश में वृद्धि करना प्रस्तावित है ।"

15. **गोविंद रामजी जाधव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **सुरेन्द्र सिंह रौतेला** उर्फ **सुरेन्द्र सिंह बंगाली** बनाम **बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य)**[2] वाले मामलों में यही प्रतिपादना अधिकथित की गई है ।

16. अतः, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय का निर्णय, जहां तक इसका संबंध दंडादेश में वृद्धि करके सात वर्ष से दस वर्ष करने से है, विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है । उच्च न्यायालय का निर्णय दंडादेश में सात वर्ष से दस वर्ष की वृद्धि करने की सीमा तक अपास्त किया जाता है ।

17. अब, हम अपीलार्थी की इस दलील पर आते हैं कि अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है । उसने यह दलील दी कि धारा 10 के अधीन न्यूनतम दंडादेश पांच वर्ष है, इसलिए प्रस्तुत मामले के तथ्यों में अपीलार्थी पर केवल पांच वर्ष का दंडादेश अधिरोपित किया जाना चाहिए । इसलिए, इस न्यायालय द्वारा दंडादेश को कम करके पांच वर्ष किया जाए । इस दलील का राज्य की ओर से काउंसेल द्वारा खंडन किया गया ।

18. विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य को क्रमबंधित किया है । विपदग्रस्त स्वयं अभि. सा. 1 के रूप में उपसंजात हुई है । अभियुक्त द्वारा उसकी पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी, विपदग्रस्त के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप साबित हुआ है और उसके

---

[1] (1990) 4 एस. सी. सी. 718.

[2] (2002) 1 एस. सी. सी. 266.

साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य से हुई है जो उसी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं हैं और उसी समय विद्यालय से वापस आ रही थी जब विपदग्रस्त विद्यालय से वापस आ रही थी । चिकित्सीय साक्ष्य से भी अपीलार्थी पर आरोप की पूरी तरह से संपुष्टि होती है । उच्च न्यायालय ने ठीक ही अपीलार्थी की दोषसिद्धि के निष्कर्ष की अभिपुष्टि की है । हम दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं और वास्तव में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अधिक गंभीरता से अपीलार्थी की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है । उनकी दलील यह थी कि उसे धारा 10 के अधीन केवल पांच वर्ष को दंडादेश दिया जाना चाहिए था । विशेष न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सात वर्ष का दंडादेश अधिरोपित किया था । विशेष न्यायाधीश ने यह उल्लेख किया कि अप्राप्तवय बालिका (आयु 7 वर्ष) के विरुद्ध कारित अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हम विद्वान् विशेष न्यायाधीश के मत से पूरी तरह से सहमत हैं और अपराध की गंभीर प्रकृति पर विचार करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की दोषसिद्धि में इस अपील में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । अत: हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील को नामंजूर करते हैं कि अधिनिर्णीत दंडादेश को कम करके पांच वर्ष किया जाना चाहिए ।

19. परिणामत:, यह अपील भागत: मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 25 को, जहां तक उसने दंडादेश में वृद्धि करके 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष का कठोर कारावास किया है, अपास्त किया जाता है । विशेष न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश अर्थात् पोक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन सात वर्ष के कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अधीन एक माह के कारावास को कायम रखा जाता है । उच्च न्यायालय के शेष निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.